भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय
(पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग)

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं.-2317
(दिनांक 21-12-2022 को उत्तर देने के लिए)

परिवर्तित पेंशन की बहाली

2317. श्री जय प्रकाश:

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को गुजरात सरकार द्वारा लिए गए निर्णय की तर्ज पर केंद्र सरकार के सेवानिवृत्त कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के 12 वर्ष बाद पेंशन के परिवर्तित हिस्से की बहाली के संबंध में राष्ट्रीय परिषद (कर्मचारी पक्ष) से कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार ने इस मांग पर विचार किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

<u>उत्तर</u>

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय और प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री
(डॉ. जितेंद्र सिंह)

(क) से (ग): जी हां, महोदय दिनांक 22.09.2022 को आयोजित राष्ट्रीय परिषद(जेसीएम) की स्थायी समिति की बैठक में, 12 वर्ष बाद पेंशन के संराशीकृत हिस्से की बहाली के संबंध में राष्ट्रीय परिषद(जेसीएम) के कर्मचारी पक्ष की ओर से मांग उठाई गई। मामले को दिनांक 03.10.2022 को वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग को संदर्भित किया गया है।

*****